GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE
DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY, DAIRYING AND FISHERIES
RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO.1151
TO BE ANSWERED ON 27TH JULY 2018

Inclusion of milk under Price Stabilisation Fund

1151. DR. BANDA PRAKASH:

Will the Minister of AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government is considering to include milk under the Price Stabilisation Fund scheme to stem the sharp decline in milk prices and enable State Governments and milk unions to purchase bulk quantity of fresh milk from farmers and convert it into skimmed milk powder (SMP) and ghee for use in future; and

(b) if so, the details thereof?

ANSWER

THE MINISTER OF STATE FOR AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE
(SHRIMATI KRISHNA RAJ)

(a) & (b) At present there is no proposal before the Government to include milk under Price Stabilization Fund scheme. However the government has taken the following measures to stem the decline in procurement prices of milk and to reduce stock of Skim Milk powder;

1. Increased the import duty of Whey Powder from 30% to 40% vide notification dated 27.03.2018.
2. D/o Revenue vide notification dated 13.07.2018 has allowed 10% export incentive under Merchandise Export from India Scheme (MEIS) for all dairy products.
3. Advisory to all the States to include supply of milk/milk products of Cooperatives through Mid-day Meal Scheme, Anganwadis under Integrated Child Development Scheme (ICDS), Health schemes, Tribal Hostels and Government/Institutional canteen.
4. Advise to all State Governments and State Milk Federations to use Public Distribution System of State Governments to market surplus milk.
5. The State Government of Bihar and Rajasthan issued order to provide milk powder to children of Anganwadi centres under ICDS.
6. State Governments of Gujarat and Maharashtra have announced to provide subsidy of Rs 50/Kg for skim Milk Powder.
7. A Scheme named “Support to State Cooperative Dairy Federation” has been approved to provide working capital loan to State Cooperatives and Federations with a corpus of Rs 300 Crore

*****

भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 1151

दिनांक 27 जुलाई, 2018 के लिए प्रश्न

विषय: कीमत स्थिरीकरण निधि के तहत दूध को शामिल किया जाना

1151. डा॰ प्रकाश बांडाः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार कीमत स्थिरीकरण निधि योजना के तहत दूध को शामिल करने पर विचार कर रही है ताकि दूध की कीमतों में तेजी से गिरावट को रोका जा सके तथा राज्य सरकार और दुग्ध संघ किसानों से बड़ी मात्रा में ताजा दूध की खरीद करने एवं इसे भविष्य में इस्तेमाल किए जाने हेतु स्कीम्ड दूध पाउडर (एसएमपी) और घी में बदलने में समर्थ हो पाएं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री

(श्रीमती कृष्णा राज)

(क) और (ख) : फिलहाल दूध को कीमत स्थिरीकरण निधि के अंतर्गत शामिल करने के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, सरकार ने दूध की खरीद मूल्य में कमी करने को स्थिर करने तथा स्किम्ड दुग्ध पाउडर के स्टाक में कमी करने के लिए निम्नलिखित उपाए किए हैं:-

1. दिनांक 27.3.2018 की अधिसूचना के तहत व्हे पाउडर के आयात शुल्क को 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया है।
2. राजस्व विभाग ने दिनांक 13.7.2018 की अधिसूचना के तहत सभी डेयरी उत्पादों के लिए भारत में मर्चेन्डाइज एक्सपोर्ट स्कीम (एमईआईएस) के अंतर्गत 10 प्रतिशत निर्यात प्रोत्साहन की अनुमति दी है।
3. सभी राज्यों को परामर्शी कि वे सहकारिताओं के दुग्ध और दुग्ध उत्पादों की आपूर्ति को मध्याह्न भोजन योजना, समेकित बाल विकास योजना (आईसीडीएस) स्वास्थ्य योजना, जनजाति होस्टल तथा सरकारी/संस्थागत कैंन्टीन में शामिल करें।
4. सभी राज्य सरकारों और राज्य दुग्ध संघों को सलाह दी है कि वे अधिशेष दुग्ध का विपणन करने के लिए राज्य सरकार की लोक वितरण प्रणाली का प्रयोग करें।
5. बिहार और राजस्थान सरकार ने आईसीडीएस के तहत आंगनवाडी के बच्चों के लिए दुग्ध पाउडर उपलब्ध कराने का आदेश दिया है।
6. गुजरात और महाराष्ट्र की राज्य सरकारों ने स्किम्ड दुग्ध पाउडर के लिए 50 रूपये / प्रति किलो की सब्सिडी की घोषणा की है।
7. एक योजना नामत: 'राज्य सहकारी डेयरी संघ को सहायता' अनुमोदित की गई है जिसमें 300 करोड़ रूपये के कार्पस से राज्य सहकारी और परिसंघ को कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध कराया जायेगा।

.....